

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2026

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / /2026

## //कार्यालय-सूचना//

आदेशानुसार, शासकीय वाहनों के कुशल प्रबंधन एवं ईंधन व्यय में अनुशासन लाने के उद्देश्य से संसाधनों के मितव्ययिता से उपयोग में लाये जाने हेतु निम्नलिखित उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया जाता है:-

- (1) उप सचिव स्तर के अधिकारियों जिन्हें पूल वाहन आवंटित किये गए हैं, उनके द्वारा कार्यालयीन दिवसों में कार्यालय आने एवं कार्यालय समाप्ति पश्चात् ही कार्यालय से प्रस्थान करने हेतु वाहन का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे ।
- (2) निजी कारणों से विलम्ब से कार्यालय आने एवं कार्यालय समय से पूर्व प्रस्थान करने की स्थिति में पृथकतः वाहन उपलब्ध नहीं कराया जावेगा ।
- (3) जिन शाखाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों को शासकीय कार्य से रायपुर शहर एवं रायपुर मुख्यालय में अन्य स्थलों हेतु प्रस्थान करना हो, तत्संबंधी मांग पत्र वाहन शाखा में प्रातः के कार्य हेतु 11.00 बजे तक एवं सायं कालीन व्यवस्था हेतु 1.00 बजे तक अनिवार्य रूप से औचित्य टीप अंकित करते हुए प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकतानुरूप एवं मितव्ययिता अनुसार वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- (4) विभिन्न शाखाओं से निकलने वाली डाक के वितरण के लिए दोपहर 2.00 बजे के पश्चात् एक ही वाहन रायपुर शहर के लिए उपलब्ध करायी जायेगी, कृपया समस्त शाखा प्रभारी ऐसी समस्त डाक 1.30 बजे के पूर्व आगम/निर्गम शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- (5) अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित स्वतंत्र वाहन एवं उप सचिव तक के अधिकारियों को आवंटित पूल वाहन का मुख्यालय से बाहर आने-जाने का उपयोग, अनुमति योग्य नहीं है।
- (6) तात्कालीक परिस्थितियों के कार्यों हेतु वाहन की उपलब्धता सचिव महोदय की अनुमति उपरांत ही सुनिश्चित की जा सकेगी ।
- (7) समस्त वाहन चालक यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय/शासकीय कार्य से वाहन यदि विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिकृत ईंधन आपूर्ति संस्थान (पेट्रोल पंप) की ओर जाती है एवं उक्त वाहन में ईंधन की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में ईंधन आपूर्ति हेतु आवश्यक पर्ची प्राप्त करते हुए वाहन में ईंधन की पूर्ति तत्समय ही सुनिश्चित कर लें, जिससे वाहनों का ईंधन पूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन न हो ।

उक्त निर्देश विधानसभा सचिवालय में संलग्न वाहनों हेतु लागू होगा ।

आदेश से,

हस्ता-

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

18


//2//

पृ. क्रमांक 7375/वि.स./स्था./2026

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2026

प्रतिलिपि:-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
05. सर्वर कक्ष।



संघालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा